


दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
--------	-----------------------------------	--

वाढपत्रा का स्वीकृत निवरण इस प्रकार से है वादीगण की ओर से
 वाढपत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कायदा की अधिसूचना के तहत
 पत्रावर गौडा तिलोत्केरवाला संख्या 321 में वर्णित आबखी
 नम्बर 288, 533, 542 मीटर 3 कुल रकबा 0.8200 है
 स्थित है जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त स्वदेसी
 स्थानित कब्जे का हिस्सा है। तथा वादीगण अपना धिरना की
 गणी को विभाजन से अलग कर अलग स्वदेसी में स्वी
 कराना चाहते हैं इसलिए वादीगण का वाढपत्र वाद जात्र की
 अधिसूचना पर प्रतिवादीगण को समन नौदित जारी किया
 गया। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नही
 बनें हैं इन्हे निकट एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश
 पारित किया गया। तथा पत्रावली को सादर एक पक्षीय
 में प्रेषित की गई। सादर वादीगण में वादी वीरालाल
 एवं गताह नरसुत्रमल के शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश
 18 नियम 4 जा. से का पेश हुआ जिस पर वादी
 का एवं गताह के बयान कराये गये। पत्रावली में
 एक पक्षीय कार्यवाही बनें तो उनकी याद कामम नही की गई।
 वादीगण का वाढपत्र धारा 53 राज. गी. ए को
 स्वीकार किया जाता है तथा वाढपत्रकण को प्राथमिक
 दिक्की किया जाता है। इन्की पत्रावली को एवं अनुसा
 हुकमानामा आदेश जारी है। पत्रावली विभाजन
 प्रस्ताव के इंतजार में रहे।

अपखण्ड अधिकारी
 गुंगला

20/06/25 पत्रावली में तहसीलदार गुंगला से विभाजन प्रस्ताव
 प्राप्त नही बनें से तहसीलदार गुंगला से विभाजन
 प्रस्ताव प्राप्त कले है। पत्रावली को तहसीलदार गुंगला
 से विभाजन प्रस्ताव पण्डित दिन दयाल उपाध्याय
 फलाहा के सह आयोजित शिबिर दिनांक 20/06/25
 को शक पत्रावली मुख्यालय मीलों 2 पर पेश
 की। पत्रावली में वर्णित पक्षकारान को बुलाया
 जाने पर पक्षकारान ने शिबिर स्थल पर उपस्थित
 होकर अवगत कराया गया कि वाढ प्रकरण में कोई
 कार्यवाही नही करते हैं तथा प्राथमिक पत्रावली
 परसुत कर अवगत कराया गया कि



तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिथिल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की जाही
	<p> वादपत्र में वर्णित आराजियात को वादीगण द्वारा भद्विन लाल को विक्रय कर दी गई हो वादीगण का मोठे खिरला नही देने से वादपत्र में वर्णित आराजियात का विभाजन नही हो सका हो परन्तु हुए प्राथमिक एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद जॉय अवलोकन पश्चात वादीगण का वादपत्र द्वारा 52 धारकीण्ड में कार्यवाही इसी स्तर पर शूप की जाती हो पत्रावली अनल शू माट वेकट नख लेकभे </p> <p style="text-align: center;">  उपरोक्त अधिकारी इंसाना जिला-जिला इमड </p>	